

- 8- विद्यालय का निजी भवन छात्र संख्या के अनुसार निर्मित हो प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षण तथा अध्यापक गण होंगे।
- 9- विद्यालय के सुरक्षित कोष में रू0-1000.00/- (रू0 एक हजार) एवं प्राभूत कोष रू0-1500.00 के रूप में अद्योहस्ताक्षरी के पक्ष में एन0एस0सी0 के रूप में जमा होगा।
10. शिक्षण कार्य के सम्पादन हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियाँ नियमों के अन्तर्गत किया जाय।
11. छात्रों की स0 के अनुरूप उपयुक्त तथा पर्याप्त साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण होना चाहिए।
12. अभिलेखों का रख-रखाव नियमों के अन्तर्गत रखने की व्यवस्था हो।
13. परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम तथा मान्य पुस्तकों के विभिन्न पाठ्यक्रमों को ही प्रयोग किया जाय, अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
14. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जायेगा। विभागीय/शासकीय नियमों और समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन किया जायेगा, अन्यथा प्रदत्त मान्यता कभी भी पूर्व सूचना के वापस लिया जा सकता है।
15. शिक्षा विभाग/शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप किये गये शुल्क के समस्त निधियों का रख-रखाव उचित ढंग से नियमानुसार रखा जाय तथा किसी डाक घर व राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल कर उसमें रखा जाय।
16. मान्यता प्राप्त करते समय यदि कोई तथ्य छिपा कर लिया गया है, तथ्य प्रकाश में आने पर भी उक्त मान्यता निरस्त किया जा सकता है।
17. प्रशिक्षित अध्यापक की व्यवस्था की जाय।

निम्न शर्तें एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय :-

- 18- ड्राईकेमिकल पाउडर एक्सटिंग्युशर एक अदद, पानी का ड्रम 200 लीटर का एक अदद, बालू की बोरी 4 घनफुट, सैण्डबेकर चार अदद, बेलचा दो अदद, कार्बनडाई आक्साइड एमनटिंग्युशर एक अदद, धूमपान निषेध बोर्ड एक।
प्रत्येक कमरा में तीन फुट चौड़ा दो दरवाजा हो।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती।

पृ0सं0/बेसिक-4/9470-79 / ()/2005-06 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती।
- 2-जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती।
- 3-जिला अल्पसंख्यक/पिछडावर्ग अधिकारी, बस्ती।
- 4-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद-बस्ती।
- 5-नगर शिक्षा अधीक्षक, बस्ती।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरती।

सेवा में,

प्रबन्धक

श्री रामपब्लिक प्राथमिक कालेज
सिविल लाइन्स पुराना बरती

पत्रांक/बेसिक-4/ 947072 / (5228) / 2005-06

दिनांक-दिसम्बर 2005

महोदय,

निरीक्षण अधिकारियों की जांच आख्या एवं संस्तुति के आधार पर आप द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं प्रमाणों के आलोक में आपके विद्यालय राजाज्ञा संख्या 1873/15-6-98-18 एस(7)/89 शिक्षा अनुभाग (6) लखनऊ दि०-10 सितम्बर 98 के कम में प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक की अस्थाई मान्यता सत्र 2005-06 से आगामी 5 वर्ष तक निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. पाँच वर्ष के भीतर स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थाई मान्यता हेतु सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा।
2. यदि उक्त अवधि में विद्यालय में अस्थाई/स्थाई मान्यता की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है, तो प्रदत्त मान्यता उक्त अवधि को स्वतः समाप्त हो जायेगी।
3. कक्षा 1 से 5 तक की बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली के अध्याय (6) के उल्लिखित नियमों/शर्तों/शासन के अधिसूचना सं० 193/1/15-6-9 दिनांक 20-5-75 तथा संख्या 831/15-6-अ-(7)93 दिनांक-1-7-77 के अन्तर्गत प्रसारित क्रमशः उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्ति बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों एवं अन्य शर्तें प्रथम संशोधन नियमावली 1977 में उल्लिखित नियमों/शर्तों जैसा समय-समय पर पद संशोधन हो के अधीन की जायेगी परन्तु विद्यालय की मान्यता प्राप्त करने के लिए फलस्वरूप इसे विभाग द्वारा कोई सरकारी अनुदान/क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
4. प्रत्येक अध्यापक एवं कर्मचारी को वही वेतनमान एवं महँगाई भत्ता एवं अतिरिक्त महँगाई भत्ता देय होगा जो परिषद के समान अहर्ता वाले अध्यापकों एवं कर्मचारियों को अनुमन्य हो।
5. शिक्षा संहिता की धारा 106 से 114 में दी गई शर्तों का विधिवत पालन करते हुए प्रबन्धक यह प्रबन्ध करगें कि विद्यालय में वरियता कम में आने वालों में से हैं। जिसमें बालिकाओं की मान्यता देने का प्राविधान होगा।
6. मान्यता की इस आदेश से विद्यालय प्रभावित नहीं होंगे जो बेसिक शिक्षा परिषद/सरकार द्वारा खाले गये है।
7. विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसाइटी व रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा उसका संविधान प्रजातांत्रिक के आधार पर बना हो।

कृ०प०उ०. - -